कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर

कमाकः– संनि/स्कू.शि./जय/शैप्र/फा–विविध/2023/1145 दिनांकः 23-11-2023

आदेश

राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम–2016 एवं नियम 2017 के तहत 2017–18 से आज दिनांक तक विद्यार्थियों से ली गई अतिरिक्त अवैद्यानिक फीस लौटाने के संबंध में स्टूडेन्ट – पेरेन्टस एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन दिनांक 21.06.2023 का अवलोकन किया गया कि प्रधानाचार्य/सचिव, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल, जयपुर विद्यालय प्रशासन द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम – 2016 के प्रावधानों के विरूद्व छात्रों से ली गई अतिरिक्त फीस लौटाने के सम्बन्ध में खण्डीय फीस विनियमन समिति की अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2023 को आयोजित बैठक में समस्त प्रकरण की बिन्दुवार समीक्षा की गई। अभिभावक संघ एवं विद्यालय के द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त दस्तावेज एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायलय के विभिन्न आदेशों तथा समिति के समक्ष रखे गये प्रत्येक दस्तावेज एवं बिन्दु का गहनता से परिशीलन करने के साथ–साथ राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 का भी बारीकी से अध्ययन करने के उपरान्त यह पाया गया किः–

1. राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 की धारा 3, 4, 6 एवं 8 एवं नियम – 2017 केनियम 4, 5, 6 एंव 7 का गहनता से विश्लेषण करने के उपरान्त पाया गया कि किसी भी विद्यालय में फीस का विनियमन करने के लिए उक्त धाराओं के अनुसार सर्वप्रथम माता–पिता – अध्यापक संगम का गठन करना अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये शहरी क्षेत्र में प्रत्येक माता–पिता एवं प्रत्येक अध्यापक से 50 रूपये प्रतिवर्ष प्राप्त करने हैं, जिसमें विद्यालय के रिकोर्ड के अनुसार सभी से यह फीस प्राप्त नहीं की गई।माता–पिता–अध्यापक संगम के लिए अधिनियम कें प्रावधानों के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के माता–पिता में से कोई एक एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक50 रूपये का भुगतान कर माता–पिता–अध्यापक संगम का गठन करेगें, परन्तु विद्यालय के द्वारा प्रदान कि गई उक्त सूचना के अनुसार स्पष्ट है कि विद्यालय के द्वारा अधिनियम के अतिआवश्यक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है।अधिनियम की धारा 4(ग) एवं धारा 4(2)(क) माता–पिता–अध्यापक संगम के गठन के उपरान्त विद्यालय कों माता–पिता–अध्यापक संगम के इच्छित अभिभावकों में से लॉटरी द्वारा विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन करना होता है परन्तु जब प्राथमिक स्तर पर ही माता–पिता–अध्यापक संगम का गठन नहीं किया गया तो विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन किसी भी रूप में वैधानिक नहीं हो सकता एवं ना ही विद्यालय स्तरीय फीस समिति द्वारा किये गये किसी भी फीस निर्धारण कों किसी भी रूप में वैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि फीस अधिनियम 2016 की धारा 8 एवं फीस अधिनियम के नियम 10

Scanned with OKEN Scanner

के अनुसार फीस का निर्धारण करने के लिए विद्यालय स्तरीय फीस समिति का निर्धारण धारा 4(2)(क) के अनुसार किया जाता है। जिसका विद्यालय द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाना प्रतीत होता है।

2.विद्यालय से प्राप्त समस्त दस्तावेजों के अध्ययन के उपरान्त एवं विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न आदेशों का अध्ययन करनें के उपरान्त पाया गया हैकि उक्त विद्यालय ने राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 एवं नियम 2017 के अनुसार प्राथमिक तौर पर आवश्यक माता–पिता संगम अन्तर्गत धारा 4 एवं नियम 3 के अनुसार गठन करना आवश्यक नहीं समझा और विद्यालय स्तर पर ही फीस समिति का गठन कर फीस का निर्धारण कर पूर्व के तीन वर्षो का नियम विरूद्ध एवं आगामी तीन वर्षो का अनुमोदन भी करवा लिया गया।

3. विद्यालय द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम, 2016 एवं नियम 2017 के उपरान्त सत्र 2018–19 में अवैधानिक रूप से विभिन्न कक्षाओं में 20 प्रतिशत से 48 प्रतिशत की फीस वृद्धि की गई जिस पर अभिभावकों द्वारा विभिन्न स्तर पर कई शिकायत लिखित में देने के उपरान्त दिनांक 13.04.2018 एवं दिनांक 30.04.2018 को उक्त विद्यालय का नामांकन रद्द किया गया था उसके उपरान्त विभिन्न याचिकाओं में विभिन्न आदेशों के द्वारा उक्त दोनों आदेश दिनांक 13.04.2018 एवं 30.04.2018 की पालना पर अन्तरिम रोक लगाते हुए 2018–19 की फीस वृद्धि पर भी अन्तरिम रोक लगाई गई तथा अभिभावकों को सत्र 2017–2018 के अनुसार फीस जमा कराने का आदेश विभिन्न आदेशों में दिनांक 24. 05.2018, 30.10.2018, एवं 20.05.2019 को दिया गया तथा अन्तिम आदेश में दिनांक 11.02. 2020 एवं 27.08.2019 को विद्यालय द्वारा उक्त अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 की वैधता को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देने वाली याचिका संख्या 8958/2018 कोखारिज किया गया।

4. जिसके उपरान्त विद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 की वैधता कोअपील में चुनौती दी गई परन्तु माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी विद्यालय की उक्त अपील को खारिज कर उक्त अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 की वैधता को बरकरार रखा।

5. उक्त समस्त रिकोर्ड का अवलोकन करने पर समिति को प्रतीत होता है कि विद्यालय द्वारा जान बूझकर अधिनियम 2016 एवं नियम 2017 के प्रावधानों का पालना नहीं किया गया है और इस की वैधता को माननीय न्यायालय में चुनौती दी ताकि अधिनियम के प्रावधानों की पालना में अधिक से अधिक विलम्ब हो सकें।माननीय न्यायालय के दिनांक 30.10.2018 के आदेश से भी स्पष्ट है कि विद्यालय मात्र वैधानिकता को चुनौती देने मात्र से अधिनियम की पालना से नहीं बच सकता। माननीय न्यायाधीश ने इस आदेश में स्पष्ट कहा है कि जब तक अधिनियम की वैधता कों अवैध घोषित नहीं किया जाता तब तक इस की वैधता बरकरार है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः समस्त प्रकरण की बिन्दुवार समीक्षा के उपरांत अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में खण्डीय फीस विनियामक समिति के द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:–

1. भारतीय विद्या भवन, विद्या आश्रम, स्कूल, के.एम. मुन्शी मार्ग जयपुर को जरिये विद्यालय प्रशासन आदेशित किया जाता है कि वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की 2017–18 से आज दिनांक तक (जिनसे अतिरिक्त फीस ली गई है) को आगामी माह में अतिरिक्त ली गई फीस का समायोजन किया जावे।

2. जो विद्यार्थी विद्यालय से टी.सी. प्राप्त कर जा चुके है, ऐसे छात्रों की अतिरिक्त ली गई फीस भी आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में लौटाई जावें।

उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित की जाकर अवगत कराया जावे।

23/11

संभागीय आयुक्त
पदेन अध्यक्ष
खण्डीय फीस विनियामक समिति
जयपुर

कमाकः– कमाकः– संनि/स्कू.शि./जय/शैप्र/फा–विविध/2023/1145 दिनांकः 23-11-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. प्रधानाचार्य/सचिव, भारतीय विद्या भवन, विद्याश्रम स्कूल, जयपुर, के.एम. मुन्शी मार्ग, जयपुर।
3. स्टूडेन्ट –पेरेन्टस एसोसिएशन, डी–27, शांति पथ, पत्रकार कॉलोनी, जवाहर नगर जयपुर – 302004 को पालनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली

संभागीय आयुक्त
पदेन अध्यक्ष
खण्डीय फीस विनियामक समिति
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner